

-

In the Court of A.C.J.M-V Muzaffarpur (west)

Complaint case no. 575/2020

ORDER

01.03.2021

परिवादी अनुपस्थित। अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। लिस्ट ऑफ डाक्यूमेंट के साथ चेक, चेक वापसी ज्ञापन, लिगल नोटिस तथा रजिस्ट्री रसीद की छायाप्रति दाखिल किया गया। पुकार पर परिवादी अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित नहीं हुए। सुना।

अभिलेख का अवलोकिन किया जिससे ज्ञात होता है कि यह परिवाद धारा 406, 420 भा0द0वि0 एवं 138 एन0आई0 एक्ट के अंतर्गत दर्ज है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकारी से बाहर है।

अतः कार्यालय लिपिक को आदेश दिया जाता है कि इस वाद को गठित विशेष न्यायालय में अविलम्ब भेजे। दिनांक 24.03.2021 वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित

ऐ0सी0जे0म0—पंचम
मुजफ्फरपुर (पश्चिमी)।